

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2647

दिनांक 16 दिसम्बर 2025 / 25 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सहकर्मियों की हत्या

+2647. श्री यूसुफ पठान:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कार्मिकों द्वारा की गई आत्महत्याओं और सहकर्मियों की हत्याओं की सशस्त्र बल-वार संख्या कितनी है;
- (ख) 2014 से अब तक अपनी नौकरी से इस्तीफा देने वाले सीएपीएफ कार्मिकों की वर्ष -वार और बल-वार संख्या कितनी है;
- (ग) सीएपीएफ कार्मिकों के लिए बल-वार औसतन कितने कार्य घंटे होते हैं;
- (घ) 2014 से अब तक सीएपीएफ कार्मिकों द्वारा वर्ष और सशस्त्र बल-वार एक वर्ष में औसतन कितनी छुट्टियां ली गई हैं; और
- (ङ) 2014 से अब तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की मांग करने वाले सीएपीएफ कार्मिकों की वर्ष-वार और सशस्त्र बल-वार संख्या कितनी है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): विगत तीन वर्षों के दौरान सूचित की गई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), असम राइफल्स (एआर) और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) में आत्महत्याएं एवं सहकर्मियों की हत्या का ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2647, दिनांक: 16.12.2025**

(ख): वर्ष 2014 से अब तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), असम राइफल्स (एआर) तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) के कार्मिकों द्वारा सेवा से दिए गए इस्तीफों का विवरण अनुलग्नक-॥ में दिया गया है।

(ग): आम तौर पर, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 8 घंटे की शिफ्ट में काम होता है। हालांकि, यह परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग होता है। बटालियनों की संरचना में आवश्यक अवकाश/प्रशिक्षण रिजर्व बनाया जाता है ताकि कार्मिकों को आराम और छुट्टी मिल सके। पर्याप्त आराम तथा छुट्टी दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी, तर्कसंगत और निष्पक्ष छुट्टी नीति को लागू करने और ड्यूटी के घंटों को विनियमित करने के उपाय किए गए हैं।

(घ): सरकार ने फील्ड में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कार्मिकों के लिए 75 दिनों के अवकाश का प्रावधान किया है, जिसमें 60 दिन का अर्जित अवकाश और 15 दिन का आकस्मिक अवकाश शामिल है, जबकि अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए 30 दिन के अर्जित अवकाश और 8 दिन के आकस्मिक अवकाश का प्रावधान है। सीएपीएफ कार्मिकों को यथासंभव स्वीकार्य अवकाश उपलब्ध कराने का निरंतर प्रयास किया जाता है।

(ङ): जहां भी आवश्यक हो, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कार्मिकों को सीएपीएफ के अस्पतालों, संयुक्त अस्पतालों, यूनिट अस्पतालों और विशेषीकृत मनोरोग सेवाओं के नेटवर्क के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान की जा रही है। बल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम, तनाव प्रबंधन कार्यशालाएं, योग और ध्यान का आयोजन करते हैं।

\*\*\*\*\*

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कार्मिकों द्वारा की गई आत्महत्याओं और सहकर्मियों की हत्याओं का बल-वार ब्योरा:-

(i) आत्महत्याएं

बल का नाम	वर्ष			
	2023	2024	2025	कुल
असम राइफल्स	12	08	08	28
बीएसएफ	43	52	25	120
सीआईएसएफ	25	15	20	60
सीआरपीएफ	57	46	56	159
आईटीबीपी	08	12	12	32
एनएसजी	01	03	0	04
एसएसबी	11	12	12	35
<b>कुल</b>	<b>157</b>	<b>148</b>	<b>133</b>	<b>438</b>

(ii) सहकर्मियों की हत्याएं

बल का नाम	वर्ष			
	2023	2024	2025	कुल
असम राइफल्स	01	01	0	02
बीएसएफ	0	0	01	01
सीआईएसएफ	0	0	0	0
सीआरपीएफ	0	0	02	02
आईटीबीपी	0	0	01	01
एनएसजी	0	0	0	0
एसएसबी	01	0	0	01
<b>कुल</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>07</b>

(ख) वर्ष 2014 से अब तक, सेवा से इस्तीफा देने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कार्मिकों का बल-वार और वर्ष-वार ब्योरा:-

वर्ष	बल							कुल
	असम राइफलस	बीएसएफ	सीआईएसएफ	सीआरपीएफ	आईटीबीपी	एनएसजी	एसएसबी	
2014	35	516	268	897	174	0	143	<b>2033</b>
2015	25	398	318	972	230	0	127	<b>2070</b>
2016	29	319	269	492	161	0	93	<b>1363</b>
2017	33	414	380	671	153	0	90	<b>1741</b>
2018	23	328	517	583	116	0	129	<b>1696</b>
2019	19	436	378	451	152	0	113	<b>1549</b>
2020	07	211	247	256	156	0	82	<b>959</b>
2021	17	478	212	548	207	0	203	<b>1665</b>
2022	14	408	337	363	180	0	139	<b>1441</b>
2023	16	1025	399	535	242	0	254	<b>2471</b>
2024	54	1804	364	692	120	0	261	<b>3295</b>
2025	99	1156	448	996	76	0	302	<b>3077</b>
<b>कुल</b>	<b>371</b>	<b>7493</b>	<b>4137</b>	<b>7456</b>	<b>1967</b>	<b>0</b>	<b>1936</b>	<b>23360</b>

\*\*\*\*\*